संख्या 158 /54—1—13/8(9)/2011टीसी

प्रेषक,

आनन्द कुमार सिंह
संयुक्त सचिव/मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
स्टेट लेवेल नोडल एजेन्सी,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी/अध्यक्ष,
वाटरशेड सेल कम डाटा सेन्टर,
बांदा, चित्रकूट, हमीरपुर, झांसी, जालौन, ललितपुर एवं महोबा।

भूमि विकास एवं जल संसाधन अनुभाग—1 लखनऊ दिनांक 21 मार्च,2013
(समादेश बन्धु)

विषय— समेकित जल संग्रहण प्रबन्धन कार्यक्रम (आईडब्ल्यूएमपी) के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2009—10 में बुन्देलखण्ड पैकेज के अन्तर्गत स्वीकृत 27 परियोजनाओं के इंस्टीट्यूशनल एण्ड कैपिसिटी बिल्डिंग मद में 1.4 प्रतिशत, एडमिनिस्टेटीव मद में 2.7 प्रतिशत, वाटरशेड वर्क मद में 32.35 प्रतिशत, लाइवलीहुड एक्टीविटिज मद में 5 प्रतिशत प्रोडक्शन सिस्टम एण्ड माइक्रोइन्टरप्राइजेज मद में 5 प्रतिशत एवं मॉनिटरिंग मद में 0.325 प्रतिशत धनराशि का आवंटन किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक भूमि संसाधन विभाग ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र सं0 के—11013/19/2012/आई0डब्ल्यू0एम0पी0 (यू0पी0) दिनांक 17.01.2013 द्वारा प्राप्त केन्द्रांश एवं प्रदेश शासन के शासनादेश सं0 70/54—1—2012—8(23)/2011 टी0सी0 दिनांक 18.02.2013 द्वारा प्राप्त राज्यांश (अनुपात क्रमशः के0:रा0— 90:10) को परियोजना मद की धनराशि इंस्टीट्यूशनल एण्ड कैपिसिटी बिल्डिंग मद में 1.4 प्रतिशत, एडमिनिस्टेटीव मद में 2.7 प्रतिशत, वाटरशेड वर्क मद में 32.35 प्रतिशत, लाइवलीहुड एक्टीविटिज मद में 5 प्रतिशत प्रोडक्शन सिस्टम एण्ड माइक्रोइन्टरप्राइजेज मद में 5 प्रतिशत एवं मॉनिटरिंग मद में 0.325 प्रतिशत की धनराशि को समेकित जल प्रबन्धन कार्यक्रम के क्रियान्वयन हेतु आरटीजीएस के माध्यम से संबंधित इकाईयों के परियोजनावार खोले गये खातों में स्थानान्तरित की जा रही है। जिनका विवरण निम्न प्रकार है :—

(धनराशि करोड़ में)

S. N.	NAME OF THE DISTRICT (27 Projects)	Name of Project	Bank Name	Account No.	ADM	MON	CB	WDW	LIV.	P.S.&M.	TOTAL
					2.7%	0.325%	1.4%	32.35%	5%	5%	46.775%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Banda	IWMP-I	State Bank of India	31169935668	0.1811160	0.0218010	0.0939120	2.1700380	0.3354000	0.3354000	3.1376670
2		IWMP-II	State Bank of India	31169935668	0.1688040	0.0203190	0.0875280	2.0225220	0.3126000	0.3126000	2.9243730
3	Chitrakoot	IWMP-I	State Bank of India	32345481208	0.2146176	0.0258336	0.1112832	2.5714368	0.3974400	0.3974400	3.7180512
4		IWMP-II	State Bank of India	32345816463	0.1668600	0.0200850	0.0865200	1.9992300	0.3090000	0.3090000	2.8906950
5		IWMP-III	State Bank of India	32345815482	0.1684152	0.0202722	0.0873264	2.0178636	0.3118800	0.3118800	2.9176374
6	Hameerpur	IWMP-I	Punjab National Bank	4576000100045886	0.1626480	0.0195780	0.0843360	1.9487640	0.3012000	0.3012000	2.8177260
7		IWMP-II	Punjab National Bank	4576000100045895	0.1560708	0.0187863	0.0809256	1.8699594	0.2890200	0.2890200	2.7037821
8		IWMP-III	Punjab National Bank	4576000100045901	0.1560708	0.0187863	0.0809256	1.8699594	0.2890200	0.2890200	2.7037821

S. N.	Name of The District (27 Projects)	Name of Project	Bank Name	Account No.	ADM	MON	CB	WDW	LIV.	P.S.&M.	TOTAL
					2.7%	0.325%	1.4%	32.35%	5%	5%	46.775%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9		IWMP-I	State Bank of India	32092196984	0.1458000	0.0175500	0.0756000	1.7469000	0.2700000	0.2700000	2.5258500
10		IWMP-II	State Bank of India	32092203494	0.1490400	0.0179400	0.0772800	1.7857200	0.2760000	0.2760000	2.5819800
11	Jalaun	IWMP-III	State Bank of India	32092652543	0.1360800	0.0163800	0.0705600	1.6304400	0.2520000	0.2520000	2.3574600
12		IWMP-IV	State Bank of India	32092651221	0.1393200	0.0167700	0.0722400	1.6692600	0.2580000	0.2580000	2.4135900
13		IWMP-V	State Bank of India	32092649697	0.1483272	0.0178542	0.0769104	1.7771796	0.2746800	0.2746800	2.5696314
14		IWMP-I	Punjab National Bank	0229000103050813	0.2006856	0.0241566	0.1040592	2.4045108	0.3716400	0.3716400	3.4766922
15	Jhansi	IWMP-II	Punjab National Bank	0229000103054998	0.2118960	0.0255060	0.1098720	2.5388280	0.3924000	0.3924000	3.6709020
16		IWMP-III	Punjab National Bank	0229000103055003	0.1560384	0.0187824	0.0809088	1.8695712	0.2889600	0.2889600	2.7032208
17		IWMP-I	Punjab National Bank	6260000400000202	0.1247400	0.0150150	0.0646800	1.4945700	0.2310000	0.2310000	2.1610050
18	Lalitpur	IWMP-II	Punjab National Bank	6260000100008418	0.1198800	0.0144300	0.0621600	1.4363400	0.2220000	0.2220000	2.0768100
19		IWMP-III	Punjab National Bank	6260000100008427	0.1620000	0.0195000	0.0840000	1.9410000	0.3000000	0.3000000	2.8065000
20		IWMP-IV	Punjab National Bank	6260000100008436	0.1620000	0.0195000	0.0840000	1.9410000	0.3000000	0.3000000	2.8065000
21		IWMP-I	Allahabad U.P Gramin Bank	10670100027502	0.1801440	0.0216840	0.0934080	2.1583920	0.3336000	0.3336000	3.1208280
22		IWMP-II	Allahabad U.P Gramin Bank	10670100028343	0.1626480	0.0195780	0.0843360	1.9487640	0.3012000	0.3012000	2.8177260
23		IWMP-III	Allahabad U.P Gramin Bank	10670100028352	0.1344600	0.0161850	0.0697200	1.6110300	0.2490000	0.2490000	2.3293950
24	Mahoba	IWMP-IV	Allahabad U.P Gramin Bank	10670100028361	0.1671840	0.0201240	0.0866880	2.0031120	0.3096000	0.3096000	2.8963080
25		IWMP-V	Allahabad U.P Gramin Bank	10670100028370	0.1509840	0.0181740	0.0782880	1.8090120	0.2796000	0.2796000	2.6156580
26		IWMP-VI	Allahabad U.P Gramin Bank	10670100028389	0.1701000	0.0204750	0.0882000	2.0380500	0.3150000	0.3150000	2.9468250
27		IWMP-VII	Allahabad U.P Gramin Bank	10670100028398	0.1779732	0.0214227	0.0922824	2.1323826	0.3295800	0.3295800	3.0832209
Total (Bundelkhand)		27			4.3739028	0.5264883	2.2679496	52.4058354	8.0998200	8.0998200	75.7738161

(रू0 पचहत्तर करोड़ सतहत्तर लाख अड़तीस हजार एक सौ इकसठ रूपये मात्र)

1— परियोजना मद की धनराशि जनपद स्तर पर जिलाधिकारी/अध्यक्ष, डब्ल्यूसीडीसी तथा परियोजना प्रबन्धक के नाम से खोले गये परियोजना के बचत खाते में जमा होगें। परियोजना मद की इस धनराशि का आहरण जिलाधिकारी/अध्यक्ष, डब्ल्यूसीडीसी एवं परियोजना प्रबन्धक के संयुक्त हस्ताक्षरों से किया जायेगा तथा लेखो का मिलान बैंक से नियमानुसार समय—समय पर कराया जायेगा ।

2— परियोजना मद की धनराशि स्टेट लेबिल नोडल एजेन्सी को सूचित किये गये बैंक के परियोजना बचत खातो में रखा जायेगा तथा व्यय स्वीकृत मदो में ही स्वीकृत सीमा तक सुसंगत वित्तीय नियमों/आदेशों के अनुसार किया जायेगा। इस धनराशि को किसी अन्य बैक या किसी अन्य खातो में नही रखा जायेगा और न ही किसी प्रकार के सावधिजमा (अल्पकालीन/मध्यकालीन) खाते में रखा जायेगा।

3— धनराशि का आहरण एवं व्यय करते समय भारत सरकार द्वारा जारी कामन गाइड लाइन—2008 (संशोधित—2011) तथा समय समय पर जारी भारत सरकार एवं राज्य सरकार के खाता संचालन सम्बन्धी नियमो एवं निर्देशो का पालन किया जायेगा।

4— शासन द्वारा समय—समय पर दिये गये निर्देश एवं मॉगी गयी सूचनाओं को उपलब्ध कराने के साथ—साथ व्यय की गयी धनराशि की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की मासिक मद वार सूचना भारत सरकार एंव शासन को एम.आई.एस. पद्धति से भारत सरकार की वेबसाइट dolr.nic.in एंव शासन की E-mail Address- ddcellldwrlu-up@nic.in पर उपलब्ध करायी जायेगीं।

5— इस धनराशि का व्यय भारत सरकार के पत्र सं0 के—11013/19/2010/आईडब्ल्यूएमपी (उ0प्र0) दिनांक 29—09—2010 एवं के—11013/19/2012/आईडब्ल्यूएमपी (यू0पी0) दिनांक 17.01.2013 को भी संज्ञान में रखा जायेगा ।

6– जनपद में डब्ल्यूसीडीसी स्तर पर चेकबुक रजिस्टर, ग्रान्ट रिसीब्ड रजिस्टर, ग्रान्ट डिस्टीब्यूशन रजिस्टर, वाटरशेड कमेटी एवं पी0आई0ए0 से प्राप्त यू0सी0 का रजिस्टर, मदवार वित्तीय एवं भौतिक प्रगति का रजिस्टर तथा पीआईए स्तर पर राज्य से प्राप्त ग्रान्ट रजिस्टर, डब्ल्यूसीडीसी को प्रेषित यू0सी0 का रजिस्टर, बैंक समाधान विवरण रजिस्टर, वाटरशेड कमेटी से प्राप्त यूसी का रजिस्टर वित्तीय, भौतिक प्रगति एवं वाटरशेड कमेटी स्तर पर कैश बुक, कार्यालय व्यय रजिस्टर, वाउचर रजिस्टर, बैंक पासबुक, बैंक समाधान विवरण रजिस्टर, अग्रिम/समायोजन रजिस्टर, चेकबुक रजिस्टर, सम्पत्ति रजिस्टर, वाटरशेड सम्पत्ति से प्राप्त आय के विवरण का रजिस्टर, डब्ल्यू0डी0एफ0 एकाउन्ट रजिस्टर रिवाल्विंग फण्ड रजिस्टर एवं वित्तीय एवं भौतिक प्रगति का रजिस्टर आदि अभिलेखों का रख–रखाव सुनिश्चित कराई जायेगी ।

7– इस धनराशि से वाहन/फोटो कापीयर मशीन/वी0डी0ओ0 रिकार्डर/प्रोजेक्टर/स्थायी भवन निर्माण अथवा अन्य किसी पूँजीगत मद में व्यय नही किया जायेगा।

8– एसएलएनए, बैंक एंव डब्ल्यू0सी0डी0सी0 के मध्य त्रिपक्षीय अनुवन्ध (एम0ओ0यू0) कराया जायेगा जिसमें भारत सरकार द्वारा जारी कामन गाइड लाइन–2008 (संशोधित–2011) तथा समय समय पर भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा जारी खाता संचालन संबंधी नियमो एवं निर्देशों का अनुपालन करने तथा खाते में जमा अवशेष पर प्राप्त ब्याज की धनराशि की सूचना भारत सरकार एवं राज्य सरकार को त्रैमासिक आधार पर भारत सरकार की वेबसाइट dolr.nic.in एवं शासन की E-mail Address:- ddcellldwrlu-up@nic.in पर सूचित करने तथा अधिकृत व्यक्ति के अतिरिक्त अन्य किसी के हस्ताक्षर से धनराशि का आहरण/स्थानान्तरण नही करने का उल्लेख होगा।

9– वित्तीय वर्ष की समाप्ति के अगले वर्ष माह जुलाई के अन्दर लेखो का आडिट प्रदेश सरकार द्वारा अनुमोदित चार्टर्ड एकाउन्टेट के पैनल से करवाकर आडिट रिपोर्ट एवं यू0सी0 दो प्रतियों में स्टेट लेविल नोडल एजेन्सी को अनिवार्य रूप से उपलब्ध करायी जायेगी।

10– जनपद स्तर पर समेकित वाटरशेड प्रबन्धन कार्यक्रम (आई.डब्ल्यू.एम.पी) जिलाधिकारी के प्रशासनिक नियंत्रण में संचालित की जायेगी। वित्तीय, प्रशासनिक एवं विधिक, कार्यवाही हेतु जिलाधिकारी सक्षम प्राधिकारी है।

11– भारत सरकार से अनुमोदित/प्रस्तावित परियोजना के अनुसार कार्य कराया जायेगा और कार्य कराने से पूर्व उसका विस्तृत विवरण/आगणन/डीपीआर तथा कार्ययोजना जिसमें विशेष रूप से माईल्स्टोन तथा टाईम लाइन्स का समावेश करते हुए सक्षम स्तर से अनुमोदित कराते हुए परियोजना का कार्यान्वयन कराया जायेगा।

12– अवमुक्त की जा रही धनराशि परियोजना की कुल स्वीकृत लागत का 46.775 प्रतिशत है इंस्टीट्यूशनल एण्ड कैपिसिटी बिल्डिंग मद में 1.4 प्रतिशत, एडमिनिस्टेटीव मद में 2.7 प्रतिशत, वाटरशेड वर्क मद में 32.35 प्रतिशत, लाइवलीहुड एक्टीविटिज मद में 5 प्रतिशत प्रोडक्शन सिस्टम एण्ड माइक्रोइन्टरप्राइजेज मद में 5 प्रतिशत एवं मॉनिटरिंग मद में 0.325 प्रतिशत आदि व्ययों हेतु निर्धारित है।

13– प्रश्नगत कार्य कराने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि राज्य सरकार/भारत सरकार/अन्य किसी श्रोत से इस परियोजना हेतु कोई धनराशि स्वीकृत नहीं हुई है और न ही स्वीकृत हेतु प्रस्तावित है।

14– कार्य में प्रयोग की जाने वाली धनराशि का क्रय स्टोर परचेज नियमों तथा समय समय पर जारी तत्संबंधी शासनादेशों एवं नियमों के अनुसार कराया जायेगा तथा कार्य के अनुमान/आगणन पर यथाविधि सक्षम अधिकारी की तकनीकी स्वीकृति प्राप्त करने के बाद कार्य प्रारम्भ कराया जाये।

15– परियोजना में विशिष्टियों एवं मानकों के अनुसार समयबद्ध एवं गुणात्मक कार्य विभाग द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

16– परियोजना के कार्यान्वयन में संबंधित जिलाधिकारी/मण्डलायुक्त के साथ भी प्रभावी समन्वय सुनिश्चित किया जायेगा और इनके द्वारा निरन्तर रूप से परियोजना की प्रगति का अनुश्रवण कर नियमित रूप से प्रगति से अवगत कराया जायेगा।

17– भारत सरकार एवं राज्य सरकार के अधिकारियों के निरीक्षण के समय जनपद स्तर/पीआईए स्तर पर/डब्ल्यू सी स्तर पर रखे जाने वाले अभिलेखों एवं बैंक खातों के

निरीक्षण हेतु अभिलेख उपलब्ध कराये जायेगें तथा निरीक्षण में अपेक्षित सहयोग प्रदान कराया जायेगा।

18— परियोजना के लिए स्पष्ट रूप से क्षेत्र/लाभार्थी को अभिज्ञानित कर जनमानस के लिए सार्वजनिक स्थान पर प्रदर्शित किया जायेगा ताकि स्थानीय जनमानस के सहयोग से द्विरावृत्ति को रोका जा सके। साथ ही विभागीय अधिकारियों के साथ ही थर्ड पार्टी निरीक्षण/सत्यापन भी अनिवार्य होगा। इसके अतिरिक्त परियोजना के कार्यान्वयन में पूर्ण पारदर्शिता सुनिश्चित की जायेगी।

19— परियोजना कार्यान्वयन हेतु आवंटित धनराशि को 15 दिन के अन्दर कार्यदायी संस्थाओं/पी0आई0ए0 तथा डब्ल्यू0सी0 को नियमानुसार अवमुक्त किया जायेगा ।

20— इस धनराशि का अंकन ग्रान्ट रजिस्टर के कमांक—34, 35 एव 37 पर कर लिया गया है।

कृपया उपरोक्त धनराशि की प्राप्ति स्वीकार करते हुये प्राप्ति रसीद/पुष्टि प्रमाण--पत्र शासन के फैक्स संख्या—0522—2238425 पर तत्काल प्रेषित करवाना सुनिश्चित करें ।

भवदीय,

(आनन्द कुमार सिंह)
संयुक्त सचिव/मुख्य कार्यकारी अधिकारी
o/c

158

संख्या— (1)/54—1—13/8(9)/2011टीसी तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1— संयुक्त सचिव, भारत सरकार, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भूमि संसाधन विभाग, 11वां ब्लाक छठा तल, सी0जी0 ओ0 काम्पलेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली ।
2— विशेष सचिव एवं स्टाफ आफिसर , कृषि उत्पादन आयुक्त, उ0प्र0शासन ।
3— निजी सचिव, प्रमुख सचिव, भूमि विकास एव जल संसाधन विभाग उ0प्र0 शासन ।
4— मण्डलायुक्त झांसी, चित्रकूट।
5— राज्य योजना आयोग—1/नियोजन अनुभाग—3/वित्त(व्यय—नियंत्रण)अनुभाग—1
6— संयुक्त निदेशक, समादेश बंधु, भूमि विकास एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0शासन
7— अध्यक्ष एवं प्रशासक, रामगंगा कमाण्ड परियोजना, कानपुर।
8— उप निदेशक, भूमि विकास एवं जल संसाधन विभाग मण्डल चित्रकूट, बांदा, झांसी, ललितपुर को इस आशय से कि कार्यदायी संस्था को अपने स्तर से अवगत करा दें।
9— संबंधित भूमि संरक्षण अधिकारी को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
10— प्रशासनिक अधिकारी, एस0एल0डी0सी0, 23 सी, गोखलेमार्ग, लखनऊ को इस निर्देशों के साथ की इसे विभागीय वेबसाइट पर अपलोड़ कराना सुनिश्चित करें।
11— एन0आई0सी0 की प्रति।
12— गार्ड फाइल।

20.3.13

(आनन्द कुमार सिंह)
संयुक्त सचिव/मुख्य कार्यकारी अधिकारी
o/c